



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032021-225963
CG-DL-E-17032021-225963

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 2021/फाल्गुन 26, 1942

No. 147]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 2021/PHALGUNA 26, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2021

सा.का.नि. 196(अ).— पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2020 का प्रारूप, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 9 दिसम्बर, 2020 को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 775(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको जनता को अधिसूचना उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त अधिसूचना जनता को 18 दिसंबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, प्रारूप नियमों के प्रत्युत्तर में कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4 और धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 144 के उपनियम (6) में, “विमानपत्तन” शब्दों के पश्चात्, “या रेल” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. पी -11045/61/2019-वित्त.]

डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 204(अ), तारीख 13 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 384(अ), तारीख 29 मई, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2021

G.S.R. 196(E).—WHEREAS a draft Petroleum (Amendment) Rules, 2020, were published as required by Sub-sections (2) and (3) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) under notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, dated, the 9th December, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 775(E), dated the 18th December, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty five days from the date on which notification was made available to the public;

AND WHEREAS, the said notification was made available to the public on the 18th December, 2020;

AND WHEREAS, no objections or suggestions were received in response to the draft rules;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 and sub-section (1) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum Rules, 2002, namely:-

- (1) These rules may be called the Petroleum (Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Petroleum Rules, 2002, in rule 144, in sub-rule (6), after the words “or Airport”, the words “or Railways” shall be inserted.

[F. No. P-11045/61/2019-Dist.]

Dr. NAVNEET MOHAN KOTHARI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 204(E), dated the 13th March, 2002 and last amended vide notification number G.S.R. 384(E), dated the 29th May, 2019.